तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 14/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/288) वअनवान सुमेरदान बनाम चंडीदान इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)
प्रथम लिंक अधिकारी

सुमेरदान

बनाम

चंडीदान इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री त्रिलोक जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कपिलदान चारण, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03

पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

आदेश

दिनांक 08 अप्रैल 2026

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 49/2010 वअनवान चंडीदान व अन्य बनाम सरकार इत्यादि में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 मई 2016 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 27 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की गई।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ग्राम का जागरूक एवं सजग नागरिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है जो अपीलार्थी की जानकारी से बाहर है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये रेस्पो. को राजकीय भूमि की खातेदारी दिये जाने से अपीलांट के हित प्रभावित हुए है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 दंड प्रक्रिया संहिता, 1908 स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

जवाब में रेस्पो. संख्या एक से तीन के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण/रेस्पो. संख्या एक से तीन का वक्त सेटलमेंट से पूर्व रियासत से कब्जा काश्त चला आ रहा है। भू प्रबंध विभाग वालों द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि को स्व. लक्ष्मीदान पुत्र विरधदान के नाम से समरी में दर्ज किया गया था। तत्पश्चात

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 14/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/288) बअनवान सुमेरदान बनाम चंडीदान इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भू प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा वादीगण के वालिद के नाम को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के भूमि का इन्द्राज बदल दिया गया। रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने वाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से बखूबी साबित किये जाने पर विचारण न्यायालय उक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का तनकीवार विवेचन करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजीयात से किसी प्रकार का सरोकार नहीं है तथा न ही अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में अपने अधिकारों के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के हित किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होने से अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार से हितबद्ध नहीं होने से हस्तगत अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी नही ठहरता है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अनुमति बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन मुताबिक वादीगण/रेस्पो. द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 820 रकबा 151.16 बीघा भूमि पर दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के जरिये अपना कब्जा काश्त साबित किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में मामले में विरचित तनकीयात पर विधिनुसार निष्कर्ष पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना प्रकट होता है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो कि अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार हो। जहां तक भूमि के राजकीय होने का प्रश्न है, इस संबंध में भूमिधारी तहसीलदार इस संबंध में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट के हक व अधिकार किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होने से प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित पायी जाती है।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है एवं अपील अपीलांट अनुमति बाधित पाये जाने से खारिज की जाती है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर